(150)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ.2/07/2020/एस.1/150 **दिनांकः 08.05.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए हैं।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 40–3/2020–डीएम–I (ए) दिनांक 01 मई, 2020 और उसमें निहित नए दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिनांक 17.05.2020 की मध्यरात्रि तक लॉकडाउन के विस्तार के संबंध में आदेश सं. 130, दिनांक 03.05.2020 जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, कोविड–19 के संक्रमण को रोकने के उपायों पर उपर्युक्त नए दिशा–निर्देशों में शामिल किया गया है।

और जबकि, गृह मंत्रालय के उपर्युक्त आदेशों के नए दिशा–निर्देशों के साथ संलग्न खंड 13 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि 3 मई, 2020 तक लॉकडाउन उपायों पर दिशा–निर्देशों के तहत पहले से अनुमत गतिविधियों के लिए अलग से/नई अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

और जबकि उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के खंड 15 (i) में यह आदेश भी दिए गए थे कि सभी जिलाधिकारी जनता तथा कार्यस्थलों के लिए कोविड–10 के प्रबंधन के लिए लॉकडाउन उपायों और राष्ट्रीय निदेशों को कड़ाई से लागू करेंगे, जैसा इन दिशा–निर्देशों के अनुलग्नक–I में विनिर्दिष्ट किया गया है।

और जबकि, सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि डीडीएमए के दिनांक 03.05.2020 के आदेश तथा गृह मंत्रालय के संलग्न संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार पूर्णतया अनुमत गतिविधियों के संबंध में विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के साथ–साथ रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों आदि के द्वारा, अपनी ओर से, अनुमति नहीं दी जा रही है, जो उपर्युक्त दिशा–निर्देशों/आदेशों की भावना के विपरीत है।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों के उपयोग के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा फिर से यह दोहराया और स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनुमत और पाबंदी वाली गतिविधियों (जैसा संलग्न हैं) के बारे में समस्त जिलाधिकारियों और उनके

समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्तों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनुमत आर्थिक गतिविधियां शुरु करने की सुविधा दी जाती है।

दिल्ली के समस्त जिलाधिकारी और उनके समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त सुनिश्चित करेंगे कि फील्ड कार्यकर्ताओं को इन निदेशों के बारे में जागरुक तथा संवेदी बनाया जाए ताकि वे सही भावना से इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करें।

दिल्ली के समस्त जिलाधिकारियों को यह निदेश भी दिए जाते हैं कि उनके कार्यक्षेत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत इसी प्रकार के निदेश जारी करने के आदेश दिए जाते हैं ताकि समस्त फील्ड कार्यकर्ताओं द्वारा उनका उचित भावना के साथ क्रियान्वयन किया जा सके।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
2. समस्त उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
11. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की ddma.delhigovt.nic.in वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।

अनुलग्नक

1. पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित गतिविधियों पर पाबंदियां जारी रहेंगी :

(i) समस्त स्कूल कालेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि. तथापि, ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।

(ii) घर में रहकर स्वास्थ्य की देखभाल/पुलिस/सरकारी कर्मचारियों/स्वास्थ्य कर्मियों, फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों और क्वारंटीन सुविधाओं में रखे गए व्यक्तियों के अलावा अतिथ्य की सेवाएं।

(iii) समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिमनेजियम, खेलकूद परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजक पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल तथा समान प्रकार के स्थल।

(iv) समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद/मनोरंजक/शैक्षणिक/सांसकृतिक/अन्य समारोह।

(v) समस्त धार्मिक स्थल/पूजा के स्थल जनता के लिए बंद रखे जाएंगे। धार्मिक सम्मलेनों पर कड़ी पाबंदी रहेगी।

(vi) साइकिल रिक्शा और ऑटो–रिक्शा।

(vii) टैक्सी और कैब व्यवस्था।

(viii) नाई की दुकानें, स्पॉ और सैलून।

दिनांक 01.05.2020 के आदेश के साथ संलग्न गृह मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के खंड 4 में समस्त गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जिसकी जानकारी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिनांक 03.05.2020 के आदेश के द्वारा दी गई हैं, उन पर पाबंदी जारी रहेगी.

2. स्वस्थ रहने के उपाय तथा लोगों की सुरक्षा :

(i) समस्त गैर–अनिवार्य गतिविधियों के लिए सायं 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही पर कड़ी पाबंदी रहेगी।

(ii) सभी जोन में, राष्ट्रीय निदेशों के अनुसार, अनिवार्य आवश्यकताओं तथा स्वास्थ्य के उद्देश्य वाले व्यक्तियों के अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, रुग्ण व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों पर रहेंगे।

3. जैसा निर्दिष्टि किया गया है, पाबंदियों के साथ निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति है। निम्नलिखित अनुमत गतिविधियों के लिए किसी प्राधिकरण से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है :

(i) अनुमत गतिविधियों में व्यक्तियों तथा वाहनों की आवाजाही की अनुमति है. चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा अधिकतम दो व्यक्तियों की अनुमति होगी. दोपहिया वाहनों के मामले में, केवल उसे चलाने वाले व्यक्ति को ही अनुमति होगी।

(ii) <u>निजी कार्यालय :</u>

समस्त निजी कार्यालय, भले ही वे कहीं भी स्थित हों (शॉपिंग मॉल के अलावा), आवश्यकतानुसार अपनी 33प्रतिशत श्रमशक्ति के साथ कार्य कर सकते हैं, जबकि शेष व्यक्ति अपने घरों से काम करेंगे।

(iii) <u>दुकानें एवं बाजार :</u>

क) समस्त मॉल, मार्केट परिसर और मार्केट बंद रहेंगे. तथापि, अनिवार्य वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों सहित पुस्तक और स्टेशनरी की दुकानें, मार्केट परिसर और मार्केट में पंखों की दुकानों को अनुमति है.

ख) समस्त एकल (अकेली) दुकानें, पड़ोस (कालोनी) वाली दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोले जाने की अनुमति है, भले ही उनमें अनिवार्य वस्तुओं की बिक्री होती हो अथवा गैर–अनिवार्य वस्तुओं की।

ग) सभी मामलों में सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) का पालन किया जाएगा।

(iv) <u>औद्योगिक गतिविधियां :</u>

क) समस्त निर्यात से जुड़ी इकाइयां।

ख) औद्योगिक एस्टेट।

ग) अनिवार्य वस्तुओं सहित दवाओं, फार्मास्टूटिकल, चिकित्सा उपकरण, उनकी कच्ची सामग्री और इंटरमीडियरी का निर्माण करने वाली इकाइयां।

घ) वे उत्पादन इकाइयां जहां निरंतर प्रक्रिया जारी रखे जाने तथा उनकी सप्लाइ चेन की आवश्यकता होती है।

ङ) अलग–अलग शिफ्ट में आईटी संबंधी हार्डवेयर का निर्माण, जूट उद्योग।

च) पैकिंग सामग्री का विनिर्माण करने वाली इकाइयां।

(v) <u>निर्माण संबंधी गतिविधियां :</u>

क) केवल एक ही स्थान पर निर्माण कार्य की अनुमति है (जहां कार्यस्थल पर ही कर्मचारी उपलब्ध हों और बाहर से कर्मचारियों को लाने की आवश्यकता न पड़ती हो)।

ख) रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति है।

(vi) <u>ई–कॉमर्स गतिविधियां :</u>

केवल अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में ई–कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति है।

(vii) <u>सामग्री की आवाजाही :</u>

गुड्स/कार्गो (खाली ट्रकों सहित), भले ही अनिवार्य हो अथवा गैर–अनिवार्य, की किसी भी माध्यम से अनुमति है।

(viii) **अन्य सभी गतिविधियां अनुमत गतिविधियां होंगी, जिन पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 18 मई, 2020 के लिए नए दिशानिर्देशों के तहत विभिन्न जोन में, विशेषकर कोई पाबंदी नहीं हो/प्रतिबंध के साथ अनुमति हो.**

ix) इन दिशा–निर्देशों के तहत, कनटेंमेंट जोन में इनमें से किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं है।

प्रधान सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार